

22.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ट्रेका मे  
पेश हुई प्रकरण मे पूर्व मे दिनांक 7-4-2016 से  
जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की मूल वाद के  
निस्तारण तक स्थाई रूप से बहायी जाती है।

अतः 212 का प्राचीन पत्र मिति डिया जाकर  
मूल वाद के साथ संलग्न है।

पत्रावली फँसल शुभारंभ कर जल्द से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
भाण्डल (भीलवाड़ा)

महानिरीक्षक